संख्या: 764 /XVII(4)/2010/02(6)/11

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आई.सी.डी.एस.,
उत्तराखण्ड,देहरादून।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग देहरादून दिनांकः 27 मार्च, 2012

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2011–12 में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखण्ड की अनुदान संख्या 15 की 2235–02–102–01–0102 समन्वित बाल विकास योजना (90 प्रतिशत के0स0) हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 2878–79/आई0सी0डी0एस0/ बजट मं–1975/2011–12 दिनांक 13–3–2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2011–12 में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखण्ड की आयोजनागत पक्ष की अनुदान संख्या 15 की 2235–02–0102–03–0303–पुष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत दिया जाने वाला पोषाहार, पोषाहार ईधन, कच्चा माल आदि की व्यवस्था (50 प्रतिशत के0सहा0) योजना में संलग्नक में दर्शायी गई बचत से पुनर्विनियोग के माध्यम से अनुदान संख्या–15 के लेखाशीर्षक 2235–02–102–01–0102–समन्वित बाल विकास योजना (90 प्रतिशत के0स0) में संलग्नक विवरणानुसार मानक मद 05–स्थानान्तरण यात्रा भत्ता में रू0 300.00 हजार तथा मानक मद 17–किराया उपशुल्क में रू0 11500.00 हजार इस प्रकार कुल धनराशि रू0 11800.00 हजार (रू0 एक करोड़, अठठारह लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है।

2. उक्त व्यय को करते समय मितव्ययता के विषय पर निर्गत आदेशो, बजट मैनुअल एवं समय–समय पर जारी तद्विषयक आदेशो का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष आहरण/व्यय इस वित्तीय वर्ष में व्यय हो सकने वाली धनराशि की सीमा तक ही, यथा आवश्यकता, मितव्ययिता को ध्यान में रखकर नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3– व्यय केवल उन्ही मदों में किया जायेगा जिनके लिए यह स्वीकृति निर्गत की जा रही है। किसी भी प्रकार के मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नही रहेगा। उक्त धनराशि का आहरण/व्यय नियमानुसार मासिक फेजिंग के आधार पर किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

4– धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल/वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अवश्यक प्राप्त कर ली जाय। व्यय की सूचना बी0एम0–13 पर वित्त विभाग को उपलब्ध करा दी जाय।

5– इस सम्बन्ध मे होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 मे अनुदान संख्या 15 (आयोजनागत) के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–02 समाज कल्याण–102 बाल कल्याण–01 केन्द्र आयोनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजना–0102 समन्वित बाल विकास योजना (90 प्रतिशत के0स0) में संलग्नक विवरणानुसार अंकित सुसंगत इकाइयों के नामें डाला जायेगा तथा पुनर्विनियोग के कालम–4 की बचतों से वहन किया जायेगा।

3. उक्त स्वीकृति वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अशा0 संख्या 444 (P)/XXVII(3)/2011-12 दिनाँक 26–3–2012 द्वारा प्रदत्त सहमति के क्रम में निर्गत की जा रही है।

भवदीय

(अमित सिंह नेगी)
अपर सचिव

संख्याः 784 (1)/XVII(4)/2012 तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वित्त अनुभाग–2 एवं 3, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, आई0सी0डी0एस0 उत्तराखण्ड।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव